न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर | ऑन लाईन नं. GCMS 2025/91

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 28/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश —(विक्रेता एवं मालिक)—
मैसर्स पंवार मिल्क सेन्टर, नजदीक सुखवंत पैलेस, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 16.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिस्या/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2025 को समय शाम 01.00 पी एम बजे को **मैसर्सः–पंवार मिल्क सेन्टर, नजदीक सुखवन्त पैलेस, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे मौके पर **श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश (विक्रेता एवं मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर फ्रिज के अन्दर सिल्वर कैन मे लगभग 35 लीटर खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** रखा हुआ था, के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान पर फ्रिज के अन्दर सिल्वर कैन मे लगभग 35 लीटर खाद्य पदार्थ गाय का दूध को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी खाद्य पदार्थ गाय का दूध में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे संस्थान पर फ्रिज के अन्दर सिल्वर कैन में लगभग 35 लीटर खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** में से 02 लीटर विक्रेता से खदीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा गाय का दूध का नगद भुगतान 90 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश (विक्रेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश (विक्रेता एवं मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ गाय का दूध 2 लीटर को एकरूप कर वरावर भागों में वांटकर 4 वोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन वंद किये और चारों वोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

र लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2688 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर [illegible] ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। [illegible] नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं के 2688 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील वन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक वीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में वन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक वीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील वन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैवोरेटरी, वीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./227/Act/2025/227 Dated 06.03.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2688 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश –(विक्रेता एवं मालिक)– मैसर्स पंवार मिल्क सेन्टर, नजदीक सुखवंत पैलेस, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **गाय का दूध** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध करवाई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया प्रार्थी गांव 02 सी छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. पंवार मिल्क सेंटर, नजदीक सुखवंत पैलेस पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 610/25 दिनांक 01.05.2025 का दिया है कि आपकी दूकान में गाय का दूध की जांच की गई तो गाय का दुध सवस्टेंडर्ड फूड पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय के दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण 28/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का र.नं. **K-2688** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./227/Act/2025/227 Dated 06.03.2025 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त गाय के दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण 28/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk"** bearing Code No and Sr. No. K-2688 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standard [Food Product Standards and Food Aditives] Regulation 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश –(विकेता एवं मालिक)– मैसर्स पंवार मिल्क सेन्टर, नजदीक सुखवंत पैलेस, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
अति० जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)